

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 51
दिनांक 02 फरवरी 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर
तपेदिक का जोखिम

51: श्री ए. राजा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कैदियों में देश के आम लोगों की तुलना में तपेदिक होने का जोखिम पांच गुना अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में ऐसे मुद्दे का समाधान करने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार देश की जेलों में तपेदिक का पता लगाने, उपचार करने और उसकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास कर रही है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): सरकार ने जेलों और अन्य बंद स्थानों में रहने वाले सभी व्यक्तियों में टीबी की चुनौती का समाधान करने और टीबी की रोकथाम, स्क्रीनिंग और उपचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए "जेलों और अन्य बंद स्थानों में रहने वाले सभी व्यक्तियों में एचआईवी/टीबी अंतःक्षेप के बारे में परिचालन दिशानिर्देश" नामक दिशानिर्देश विकसित और जारी किए हैं। राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत जेलों में समय-समय पर टीबी की जांच की जाती है और जिन जेल कैदियों में टीबी पाया जाता है, उन्हें मुफ्त निदान और उपचार सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आम जनसंख्या और जेलों में बंद कैदियों में गत तीन वर्षों में सूचित किए गए टीबी के मामलों का ब्यौरा निम्न अनुसार है :

जनसंख्या का प्रकार	2021 (जनवरी-दिसंबर)	2022(जनवरी-दिसंबर)	2023(जनवरी-दिसंबर)
आम जनसंख्या	2136690	2425974	2545782
जेलों में बंद कैदी	1370	1296	1209

(डाटा स्रोत-निक्षय)
